न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 216 / 2023 तारीख रजू:– 06.12.2023

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. अमर उम्र 52 साल | पिसरान मिश्रा, जाति माली, निवासी जहानाबाद
2. कमल उम्र 61 साल | तहसील श्रीमहावीरजी, करौली ———— सायलान

बनाम

1. कमलेश पत्नी चांद हुसैन, उम्र 32 साल, जाति फकीर मुसलमान, निवासी जहानाबाद, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली राजस्थान।
2. उपपंजीयक महोदय, तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली ——— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–1. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट सायलान

2.श्री शांतिस्वरूप शर्मा एडवोकेट गैरसायल नं.1

निर्णय दिनांक :– 15/1/2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा माननीय न्यायालय में मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि सायलान के कब्जाकाश्त व खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 937 रकवा 18 ऐयर वाके ग्राम जहानाबाद, तहसील–श्रीमहावीरजी, जिला–करौली में स्थित है, उक्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सायलान एवं गैरसायल संख्या 01 व 02 की सम्मिलित सहखातेदारी की भूमि है, जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि उक्त आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 व 02 की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है, जिस पर सम्मिलित रूप से काश्त करना बिना विधिक बंटवारे के संभव नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 व 02 के मध्य आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र का विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है तथा मनबंटनी के आधार पर सायल एवं गैरसायल नम्बर 01 व 02 काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन विधिवत तकास्मा नहीं होने के कारण उनके मध्य फसल काश्त करते समय आपसी तनाव बना रहता है एवं कहासुनी होती रहती है तथा उक्त आराजी की कीमत बढ़ जाने से गैरसायल नम्बर 01 के मन में उक्त भूमि को हड़पने की मंशा बनी रहती है और वह येनकेन प्रकारेण उक्त आराजी को बिना विधिक बंटवारा कराए ही पक्का निर्माण करने एवं बेचान करने पर आमादा रहता है और इसके लिये आए दिन गैरसायल नम्बर 01 सायलान को हैरान व परेशान करते रहता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी प्रमाणित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 03.12.2023 सुबह करीब 10 बजे का है कि सायलान ने मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि का विधिवत बंटवारा कराने के लिए गैरसायल नम्बर 01 तथा मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 02 से कहा कि हमारी संयुक्त सम्मिलित खातेदारी की भूमि है, जिसमें संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं है, तो हम इसका विधिवत बंटवारा करा लेते हैं, तब गैरसायल नम्बर 01 व मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 02 विधिवत बंटवारा कराने के लिए सहमत नहीं हुए और एकदम नाराज हो गये और विधिवत बंटवारा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, बल्कि ऐलानिया धमकी दी कि हम विधिक बंटवारा कराये ही तुम्हारे हिस्से सहित भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को बेचान कर देंगे और बिना बंटवारा कराये ही तुम्हारे हिस्सा सहित

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

भूमि को बिना कृषि से अकृषि में सहपरिवर्तन कराये ही प्लाटिंग कर दीगर लोगों को बेचान कर देंगे, मौके पर पक्के निर्माण करवा देंगे। आइंदा हमसे विधिवत बंटवारा कराने के लिए कहा तो हम तुम्हारे हाथ–पैरों को तोड़ देंगे। सायलान व अन्य लोगों ने गैरसायल नम्बर 01 व मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 02 को काफी समझाने का प्रयास किया और विधिवत तकास्मा कराने के लिये कहा, मगर गैरसायल नम्बर 01 मानने को तैयार नहीं हुआऔर बंटवारा कराने से इनकार कर दिया। अगर गैरसायल नम्बर 01 अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार दृव्य से संभव नहीं होगी। इस प्रकार अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 937 रकवा 18 ऐयर वाके ग्राम जहानाबाबाद, तहसील–श्रीमहावीरजी, जिला–करौली में से सायलान की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि में निहित सायलान के हिस्सा 1/18 भाग से उसे जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल नहीं करें और ना किसी अन्य से करावें तथा बिना विधिवत बंटवारा कराये उक्त भूमि के स्पेसिक पीस ऑफ लैण्ड पर पक्का निर्माण स्वयं नहीं करें और ना ही किसी अन्य का करावें और ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे उक्त आराजी में सायलान के हकहकूकों व विधिक अधिकारों को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे तथा भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करें तथा दीगर लोगों को कोई प्लाटिंग कर विक्रय नहीं करें और ना ही उसे रहनव्यय स्वयं करें और ना किसी अन्य से करावें और सायलान को उनकी संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि का शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग करने देवें तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 04.01.2024 को गैरसायल सं01 की ओर से श्री शान्तिस्वरूप शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 03.09.

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

2024 को जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 1 में सायलान द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध कतई गलत एवं झूठा दावा माननीय अदालत में पेश करना स्वीकार है, जिसमें सायल को कोई सफलता का कोई चान्स भी नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 2 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार है। सायलान का उक्त जमीन में 1 एयर जमीन पर कब्जा है तथा गैरसायल सं० 1 का 8 एयर जमीन पर हिस्सा बनता है और अपने हिस्से की जमीन पर काबिज है। मूल वाद के प्रतिवादी सं० 2 का 9 एयर जमीन पर कब्जा है। गैरसायल सं० 1 का 4/9 हिस्सा है, तथा मूल वाद के प्रतिवादी सं० 2 का 1/2 हिस्सा है और सायल व गैरसायल सं० 1 व मूल वाद के प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से की जमीन पर काबिज व दखील चले आ रहे हैं।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 3 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, अस्वीकार है। गैरसायल सं० 1 अपने हिस्से की जमीन पर काबिज है तथा मूल वाद के प्रतिवादी सं० 2 अपने हिस्से की जमीन पर काबिज है। सायलान ने अपने प्रार्थना–पत्र में गैरसायल सं० 2 पर उप पंजीयक दर्ज किया गया है। मौके पर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की जमीन पर काबिज हैं।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 4 जिस प्रकार से तहरीर लिया गया है, गलत है, अस्वीकार है। सायलान व गैरसायल सं० 1 व मूल वाद के प्रतिवादी सं० 2 अपने–अपने हिस्से की जमीन पर काबिज व दखील चले आ रहे हैं और मौके पर बाहमी तौर पर मन बंटनी के अनुसार बंटवारा हो रहा है। मौके पर कोई तनाव नहीं है। सायलान के हिस्से में 1 एयर जमीन आती है जिस पर सायलान काबिज है। गैरसायलान अपने हिस्से की जमीन को बेचान नहीं कर रहे हैं तथा कोई पक्का निर्माण नहीं कर रहे हैं। सायलान का कोई प्राइमा फेसी केस साबित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 5 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत एवं झूठा होने के कारण अस्वीकार है। दिनांक 03–12–2023 को समय सुबह 10 बजे सायलान ने गैरसायल सं० 1 व मूल वाद के प्रतिवादी सं० 2 से इस मद में वर्णित कोई बात नहीं कही है और न ही विधिक बंटवारा करने को कहा है। इस मद में वर्णित कोई धमकी गैरसायल व मूल वाद के प्रतिवादी सं० 2 ने नहीं दी है। सायलान को कोई हाथ–पैर तोड़ने की धमकी नहीं दी है। गैरसायलान ने कोई विधिक बंटवारा को मना नहीं किया है। सायलान को कोई क्षति नहीं है और सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में नहीं है। प्रार्थना–पत्र हाजा कतई गलत एवं झूठा पेश कर दिया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र में चाही गई रिलीफ से इन्कारी है। सायलान विरुद्ध गैरसायलान कोई रिलीफ किसी प्रकार की प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। गैरसायलान को कानूनन स्टे से पाबंद नहीं किया जा सकता है।

उज्रात मजीद

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि सायलान अपने हिस्से 1/36, 1/36 हिस्से पर काबिज है, तथा गैरसायल सं० 1 अपने 4/9 भाग पर व प्रतिवादी सं० 2 अपने 1/2 हिस्से पर काबिज व दखील है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि कानूनन खातेदार को पाबंद नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र टी.आई. खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायलान विरूद्ध गैरसायल सं0 1 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 पेश की हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 937 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी अमर पुत्र मिश्रा हि0 1/36, कमल पुत्र मिश्रा हि0 1/36 जातियान माली सा0देह खातेदार, कमलेश पत्नि चांद हुसैन हि0 4/9 जाति फकीर सा0देह खातेदार, राधेश्याम पुत्र हीरालाल हि0 1/2 जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 937 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी के सायलान एवं गैरसायल सं01 रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। रिकोर्डेड सहखातेदार का संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से विभाजन होकर उनका पृथक पृथक खाता एवं लगान कायम नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सायलान का प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं और ना सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 937 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दि0 06.12.2023 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली